तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.5.15	आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु पेश होकर [illegible] पर प्रस्तुत हुई प्रार्थी [illegible] पक्षकारान में राजीनामा नहीं [illegible]। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार [illegible] दिनांक ......को पेश हो। 28.5.15 [signature]
28.5.15	तहसीलदार [illegible] फर्द नं 3 पर, अप्रार्थी सं 7 को तलबी हेतु नोटिस तलबाना आज ही पेश करें / पत्रावली दि० 24.7.15 को पेश हो। [signature]
23.7.15	आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत [illegible] न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प [illegible] में प्रस्तुत हुई। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी० के ~~[illegible]~~ पक्ष में अप्रार्थी० के विरुद्ध दिनांक 6.2.06 को एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि गई कि "वादग्रस्त आ.ख. नं. 336/0.45, 335/0.57 वाले ग्राम [illegible] तट [illegible] के कोई दीवार का निर्माण न करें।" प्रार्थी० ने स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद न्याया० के आदेशों के बावजूद भी अप्रार्थीगण को तलब कराने में कोई रुचि नहीं ली है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड [illegible] पक्षकारान की [illegible] स्पष्ट है, कानून अविभाजित भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है तथा [illegible] को [illegible] से पाबंद नहीं [illegible] प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करते हुए दिनांक 6.2.06 को जारी [illegible] स्थगन खारिज किया [illegible] फैसला पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर [illegible] रहे।
	[signature] 23.7.15 (हेमराज पार्टीवाल) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:32:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner